न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी – सत्य नारायण–। (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या – 197 / 2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर – 2025 / 370

दायर दिनांक – 22.07.2025 निर्णय दिनांक – 05.12.2025

1. खेमीदेवी पत्नी गुमानाराम जाति जाट निवासी सरकापार बादरा जिला बाड़मेर
2. चुनीदेवी पत्नी टीकमाराम जाति जाट निवासी सरकापार बादरा जिला बाड़मेर
3. चैनीदेवी पत्नी पोकरराम जाति जाट निवासी सरकापार बादरा जिला बाड़मेर

–प्रार्थीगण

बनाम

1. अजयसिंह भाटी पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया हाल निवासी सी–270 रिको कॉलोनी आबूरोड सिरोही
2. अनोपसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी
3. उम्मेदसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी
4. चन्दनसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी
5. डूंगरसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी
6. भैरूसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी
7. मनोहरसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी
8. मालमसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी
9. शैतानसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी
10. स्वरूपकंवर पत्नी लालसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी
11. महिपालसिंह पुत्र गिरधारीसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी
12. सुमेरकंवर पुत्री हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी
13. नाबालिग कमलसिंह पुत्र हडमानसिंह संरक्षक नाबालिग वली माता पदमकंवर पत्नी हडमानसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी
14. कंवराजसिंह पुत्र हडमानसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी
15. छैलुसिंह पुत्र हडमानसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी
16. पदमकंवर पत्नी हडमानसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी
17. कानाराम पुत्र मोतीराम जाति कुम्हार निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
18. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

Saty..

बाप (फलोदी)

उपस्थित :–1. श्री ओमप्रकश, श्री दुलीचंद अधि. प्रार्थी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 546 रकबा 21.7235 हैक्टेयर सरहद मौजा बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का राजस्व रेकार्ड जमाबंदी अनुसार कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और प्रार्थीगण ने अपनी उक्त भूमि पर अपनी–अपनी रहवासीय ढाणीयां, पानी के टांके, पशुओ के बाड़े इत्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणीयों में प्रार्थीगण अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त खातेदारी की भूमि की भूमि पैमाईश करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब बाप के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया और तहसीलदार साहब (भू.अ.) बाप ने कमांक 2025/49555/9 दिनांक 04.04.2025 को उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश पटवारी हल्का को दिये। पटवारी हल्का उक्त आदेश की पालना में दिनांक 15.04.2025 को मौके पर जाकर प्रार्थीगण की उपस्थिति में उक्त भूमि की पैमाईश की तथा मौका फर्द तैयार कर प्रार्थीगण एवं उपस्थित मौतबीरान को पढ़ कर सुनाया गया और पड़ौसी खातेदार उक्त पैमाईश से संतुष्ट नहीं हुए। पैमाईश फर्द नियमानुसार तहसील कार्यालय में जमा करवा दी। प्रार्थीगण जब उसी समय पैमाईश अनुसार अपनी भूमि के चारों ओर खूंटे रोपने लगे तो उक्त भूमि के पड़ोसी खातेदार अप्रार्थीगण सं. 1 ता 17 ने पैमाईश अनुसार प्रार्थी की हद में खूंटे रोपने नहीं दिये और उक्त पैमाईश को मानने से इन्कार कर दिया। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की उक्त भूमि से बरसात के मौसम में काश्त करते है तब उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की गई काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है और प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये प्रार्थीगण ग्राम बारू पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 546 रकबा 21.7235 हैक्टेयर भूमि की दिनांक 15.04.2025 को हुई भूमि पैमाईश अनुसार प्रार्थीगण अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 18 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 18 पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि खसरा नम्बर 546 रकबा 21.7235 हैक्टेयर सरहद मौजा बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप जिला फलोदी भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 15.04.2025 के अनुसार प्रार्थीगण की हद में प्रार्थीगण और

Satya..
उ... ...कारी
बाप (फलोदी)

र्थीगण को सूचित करते हुवे पत्थरगढी किया जाना उचित है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 17 के
र से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली
स में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए
ताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 546 रकबा 21.7235 हैक्टेयर सरहद मौजा बारू
टवार हल्का बारू तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व
ाश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं
ने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है
जससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 15.04
025 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया
था उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा
्रेस एवं मौका फर्द, पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि
खसरा नम्बर 546 रकबा 21.7235 हैक्टेयर सरहद मौजा बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप
जिला फलोदी में स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी
खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थीगण पैमाईश फर्द दिनांक
15.04.2025 अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से
साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि सरहद मौजा बारू पटवार हल्का
बारू तहसील बाप जिला फलोदी खसरा नम्बर 546 रकबा 21.7235 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी
मौका फर्द दिनांक 15.04.2025 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश
दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश
की पालना में विधिवत पत्थरगढी करवावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। प्रार्थी का उक्त
वर्णित आराजीयात पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश कब्जा सुपूर्दगी हेतु मान्य नहीं है।
निर्णय आज दिनांक 05.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Satya...

(सत्य नारायण–I, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)